

अज अदालत श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस. ,  
बइजलास: उपखंड अधिकारी सूरजगढ, झुन्झुनू (राजस्थान)

जुगलाल बनाम प्रमोद कुमार वगै०  
मु०नं० 24 / 2023  
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक -09.05.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम बनगोटडी खुर्द तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि के हाल खसरा नम्बर 265 रकबा 3.5 है०, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.66 है० व खसरा नम्बर 268 रकबा 0.3 है०, कुल किता 03 कुल रकबा 4.46 है० भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.02.2024 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)

उपखंड अधिकारी  
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-24/2023  
जुगलाल बनाम प्रमोद कुमार वगै०  
निर्णय दिनांक:- 09.05.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्डुनू  
श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)  
पीठासीन अधिकारी:-

मु०नं० 24/2023  
निर्णय दिनांक:- 09.05.2025

जुगलाल बनाम प्रमोद कुमार वगै०  
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 09.05.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम बनगोठडी खुर्द तहसील पिलानी जिला झुन्डुनू की सरहद में स्थित भूमि के हाल खसरा नम्बर 265 रकबा 3.5 है०, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.66 है० व खसरा नम्बर 268 रकबा 0.3 है०, कुल किता 03 कुल रकबा 4.46 है० भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.02.2024 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

यह आज दिनांक 09.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ  
सूरजगढ